प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.05.2026

निगम कर्मचारी हुए निलंबन अवधि से बहाल भिलाईनगर|

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के कारण अनिल कुमार मेश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी को निलंबित किया गया था दिनांक 09.04.2026 को उनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। इस कार्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र दिनांक 09.04.2026 का जवाब श्री मेश्राम द्वारा दिनाक 11.05. 2026 को प्रस्तुत किया गया है। श्री मेश्राम द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रथमदृष्ट्या संतोषप्रद नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है। विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने समुचित विचार उपरांत अनिल कुमार मेश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी को निलंबन से बहाल करते हुये जोन कार्यालय, जोन-05 में पदस्थ किया है। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच पूर्ण होने उपरांत नियमानुसार किया जावेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी